प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर

सेवा में,

प्रबंधक

मूलचन्द एकेडमी जूनियर हाई स्कूल, जुल्फकारपुर गढ़ी, ब्लाक–नजीबाबाद
जनपद–बिजनौर

पत्रांक: बेसिक / 7285-86 / 2004-05 दिनांक 23-3-2005

विषय – अशासकीय उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) की अस्थायी मान्यता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूच्य है कि मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार एवं शासनादेश सं० 217 / 15–6–92–18–एस (7) / 89 दिनांक 11–5–92 एवं शासनादेश सं. 2681 / 15–6–95–18 एस (7) / 89 दिनांक 18–1–1996 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत एवं शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद के पत्रांक: बे.शि.प. / सामान्य-5 / 21716–22019 / 96–97 दिनांक 10–2–97 में दिये गये निर्देशानुसार आपके विद्यालय को कक्षा 6 से 8 तक की अस्थायी मान्यता यह आदेश निर्गत होने की तिथि से निम्नांकित प्रतिबन्धो के साथ प्रदान की जाती है.–

1. प्रत्येक कक्षा हेतु एक वर्ग होगा।
2. विद्यालय में विभाग / उ.प्र. शासन द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम / पुस्तके ही पढ़ाई जाये।
3. विद्यालय में छात्रों को हिन्दी माध्यम से ही पढ़ाया जाये।
4. अमान्य पुस्तकें न पढ़ाई जाये।
5. छात्रों से निर्धारित शुल्क ही लिया जाय। अवैधानिक शुल्क कदापि न लिया जाये।
6. विद्यालय में समस्त प्रशिक्षित अध्यापक ही नियुक्त किये जाये।
7. विद्यालय में अवैधानिक कक्षाओं (जैसे कक्षा 9 एवं 10 आदि) का संचालन कदापि न किया जाय।
8. विद्यालय में आकस्मिक दुर्घटना से बचाव के संसाधन उपलब्ध होने आवश्यक है।
9. विभागीय आदेशों एवं बेसिक शिक्षा संहिता के नियमों का पूर्णतः पालन किया जाये।
10. विद्यालय में निर्धारित माप के शिक्षण कक्षों का निर्माण कराया जाये।

शासनादेश में निहित मानकों के अनुसार आपके विद्यालय में निम्नलिखित शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद अनुमन्य होंगे.–

प्रधानाध्यापक	एक पद
सहायक अध्यापक	चार पद
लिपिक	एक पद
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	एक पद

उक्त जनशक्ति में त्रिभाषा / प्रसार / क्राफ्ट अध्यापक सम्मिलित माने जाये। शासकीय / विभागीय आदेशों का पालन न करने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार परिषद कार्यालय का होगा।

भवदीय

[illegible] 23/3/05
(निर्मल कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर

[illegible]

Principal
Moolchand Academy
Road, Najibabad

पृ.सं.बेसिक / / 2004-05 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।
3. संबधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक / नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद बिजनौर।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी / जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकरी / जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जनपद बिजनौर।